



MINISTRY OF
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA



क.रा.बी.नि.
ESIC



ईएसआईसी कोविड-19
राहत योजना

ESIC COVID-19
RELIEF SCHEME

ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना

- क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारी की COVID-19 के कारण दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु की परिस्थिति में, मृतक श्रमिक के औसत वेतन का 90% प्रत्येक माह मृतक श्रमिक के पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा और इसका भुगतान सीधे आश्रित के बैंक खाते में किया जाएगा। मृतक श्रमिक का पति/पत्नी प्रति वर्ष 120/- रुपये के मामूली योगदान पर चिकित्सा देखरेख प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना COVID-19 से ठीक होने के बाद 30 दिनों के भीतर होने वाली COVID-19 से संबंधित मृत्यु को भी कवर करेगी।
- जिस कर्मचारी की COVID-19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, वह COVID-19 रोग के निदान की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले ESIC ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए, निदान की तारीख को रोजगार में होना चाहिए और रोग के निदान से ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके लिए कम से कम 70 दिन के अंशदान का भुगतान होना चाहिए/देय होना चाहिए।
- राहत के लिए दावा किसी भी नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय के शाखा प्रबंधक के पास COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट और कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ किया जा सकता है। पूर्ण दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान किया जाएगा।

कोविड-19 से ग्रस्त के होने के कारण कर्मचारी के वेतन के नुकसान की क्षतिपूर्ति

- क. रा. बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारी, चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवस्था में औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दैनिक दर पर बीमारी हितलाभ ले सकते हैं। बीमारी हितलाभ एक वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए लिया जा सकता है।
- बीमारी हितलाभ लेने के लिए कर्मचारी के संबंध में संदर्भित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों की अवधि के अंशदान का भुगतान किया होना चाहिए/ देय होना चाहिए।
- Medical Practitioner** द्वारा जारी चिकित्सा / फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ बीमारी हितलाभ के लिए दावा कर्मचारी के नामित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। दावे का निपटान 7 दिनों की अवधि में किया जाएगा।

मृतक कर्मचारी के अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च का भुगतान

- क. रा. बी. अधिनियम, 1948 के तहत व्याप्त कर्मचारी की दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु की परिस्थिति में, परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या वास्तव में बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15000/-की राशि का भुगतान किया जाता है।
- कर्मचारी मृत्यु वाले दिन क. रा. बी. अधिनियम के अंतर्गत बीमित होना चाहिए।
- दावा कर्मचारी के नामित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। दावे का निपटान 7 दिनों की अवधि में किया जाएगा।

शिकायत निवारण

क रा बीमा निगम के प्रत्येक राज्य के लोक शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर उपलब्ध है। 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान किया जाएगा

<https://bit.ly/3gjKGeH>

ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

In the event of unfortunate death of the worker covered under ESI Act, 1948 due to COVID-19, 90% of average wages of the deceased worker will be distributed amongst the eligible dependant family members of the deceased worker every month and will be paid directly in their bank account. The spouse of the deceased worker is also eligible for medical care on nominal contribution of Rs 120/- per year. The scheme also covers COVID-19 related deaths occurring within 30 days after recovery from COVID-19.

The worker who died due to COVID-19 disease must have been registered on the ESIC online portal at least three months prior to the date of diagnosis of COVID-19 disease, must be in employment on the date of diagnosis and at least 70 days' contribution should have been paid or payable for him during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease.

The claim for relief with COVID-19 positive report and death certificate of the worker can be applied to the Branch Manager of any nearest ESIC Branch Office. The claim will be settled in 15 days' form the date of submission of completed claim.

COMPENSATION OF LOSS OF WAGES OF A WORKER DUE TO COVID-19

Sickness Benefit under ESI Act, 1948 at daily rate of 70% of average daily wages may be availed by a worker covered under ESI Act, 1948 to compensate the loss of wages for the period he/she remains absent from work due to sickness, certified by a medical practitioner. Maximum duration of sickness benefit is 91 days in one year.

For availing Sickness Benefit, contribution in respect of the worker should have been paid or payable for a minimum period of 78 days in corresponding half yearly contribution period.

Claim for sickness benefit along with medical/ fitness certificate issued by the Medical Practitioner to be submitted in his designated ESIC Branch Office. Claim will be settled in 7 days.

PAYMENT OF EXPENSES ON LAST RITES OF DECEASED WORKER

In event of unfortunate death of a worker, covered under the ESI Act, 1948 a sum of Rs 15000/- is paid either to the eldest surviving member or to the person who actually performs the last rites of the Insured Person.

The deceased worker should be an Insured Person on the date of his death.

The claim can be submitted in the nearest ESIC Branch office. Claim will be settled in 7 days.

GRIEVANCE REDRESSAL

The details of the Public Grievance Redressal Officer of each state are available at the official website www.esic.nic.in. Grievances will be addressed within 15 days.

<https://bit.ly/3iv2d6u>



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation